संचिका सं0–7/बजट–46–06/2026 – 239(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा प्र से
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 06/07/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में Lift (4 nos) एवं HVAC का Operation & Maintenance कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा व्यय हेतु आकलित कुल राशि रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, बिहार, पटना का एक अति महत्वपूर्ण संस्थान है, जिस पर प्रायः मरीजों का भारी दवाब बना रहता है। संस्थान के गंभीर मरीजों, बुजुर्गो, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग लोगों के साथ–साथ भारी मशीनें एवं सामानों को एक तल से दुसरे तल तक ले जानें एवं गंभीर मरीजों के लिए सही तापमान के साथ MRI, CT स्केन और एक्स–रे जैसी महंगी मशीन को वातानुकूलित वातावरण में सुरक्षित रखे जाने हेतु Lift (4 nos) एवं HVAC Operation & Maintenance का कार्य निर्बाध रूप से संचालित किया जाना आवश्यक है।

2– तद्क्रम में महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–10155, दिनांक–19.12.2025 द्वारा इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना में Lift (4 nos) एवं HVAC का Operation & Maintenance कार्य के लिए व्यय हेतु रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र की राशि आकलित की गयी है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2026–27 में इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में Lift (4 nos) एवं HVAC का Operation & Maintenance कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा व्यय हेतु आकलित कुल राशि रू० 77,51,692/–(रूपये सतहत्तर लाख इक्यावन हजार छः सौ बानवे) मात्र की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्यक्रम किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) राशि का व्यय उक्त कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iii) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। उक्त कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी।

(iv) निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना के द्वारा यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा आकलित राशि के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। उक्त कार्य के सचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

5– इस योजना के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष-110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0039–अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–20–2210011100039 अन्तर्गत विषय शीर्ष 27–02–अनुरक्षण एवं मरम्मत ईकाई मद मे उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007, विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10–विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–08.06.2026 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–183(7A), दिनांक–08.06.2026 में प्रस्ताव अनुशंसित है।

11– योजना की प्रशासनिक स्वीकृति स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–24.06.2026 को आहुत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–659/लो०वि०/यो० वि०, पटना, दिनाक–24.06.2026 द्वारा अनुशंसित है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/बजट–46–06/2026 के पृष्ठ–..10..../टि० पर प्राप्त है।

14– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

विश्वासभाजन

6.7.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/बजट–46–06/2026 – 239(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक–06/07/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.7.26

सरकार के अपर सचिव।